ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292RNI
REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 193-194**
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-III, Issues-33, YEAR-July-Sept. 2024

कामकाजी महिलाओं का कार्य स्थल पर स्थिति

डॉ0 अनीता सिंह
प्राचार्या– बी.बी.एम.डी कन्या महाविद्यालय, बिहटा, पटना (बिहार) भारत

Received-15.09.2024, Revised-23.09.2024, Accepted-29.09.2024 **E-mail : akbar786ali888@gmail.com**

सारांशः ***कामकाजी महिला शब्द का प्रयोग प्रायः नौकरी करने वाली महिला के संदर्भ में किया जाता है। अर्थात् वे महिलाएँ जो घरों के बाहर नियमित रूप से आर्थिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों में व्यस्त रहती है। कामकाजी महिलाएँ शब्द उन महिलाओं के लिए प्रयुक्त हुआ है जो वेतन वाले काम–धन्धों में लगी है।[2] काम करने का अर्थ स्वयं काम करना ही नही, वरन् दूसरे व्यक्तियों से काम लेना तथा उनके कार्य की निगरानी करना एवं निर्देशन आदि देना भी सम्मिलित है।***

काम करने वाली वे महिलाएँ है, जिनके शारीरिक या मानसिक श्रम से कोई आर्थिक रूप का उत्पादन कार्य सम्पन्न हो–An employed woman is defined here as one who has been gainfully employed by government or semi-government and private agencies.[3]

कुंजीभूत शब्द– कामकाजी महिलाएं, आर्थिक एवं व्यावसायिक, निगरानी, निर्देशन, शारीरिक या मानसिक श्रम, नौकरी

कार्यकारी सम्बन्धों से तात्पर्य नौकरी/व्यवसाय के आधार पर पनपे सम्बन्धों से है। दूसरे शब्दों में कार्यकारी सम्बन्धों से तात्पर्य कार्यस्थल पर कार्यरत्त महिलाओं के अपने अधिकारियों, सहकर्मियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों के आधार पर बने सम्बन्धों से है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और यह बदलाव कई दिशाओं में हो रहा है। पढ़–लिख कर विकास की दौड़ में आ खड़ी हुई महिलाएँ अब घर की चारदीवारियों से निकाल कर कामकाज की दुनिया में शामिल हो रही है। बदली हुई सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर आसानी से मिलने लगे हैं जिस कारण उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी मिली है, समाज में स्वयं अर्जित प्रतिष्ठा पाने के साधन भी मिले हैं और मिली है जीवन को अपने तरीके से जीने की आजादी।

जैसे–जैसे महिलाएँ घरों से निकाल कर कार्यस्थल तक पहुंच रही है, वैसे–वैसे उनकी दिक्कतें भी बढ़ रही है। भारत सहित विश्व के अधिकतर देशों में, घर एवं कार्यालय के बीच बंटी कामकाजी महिलाओं की स्थिति पर शोध हो रहे हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो कामकाजी महिलाओं के प्रति समाज के नजरिए में रेखांकित करने योग्य बदलाव आया है। अभी 25–30 वर्ष पहले तक ही छोटे नगरों में कामकाजी महिलाओं में उनकी किसी सामाजिक या आर्थिक मजबूरी खोजी जाती थी और बेटे के विवाह के लिए प्रत्येक माँ–बाप एक "घरेलू" लड़की की खोज में रहता था लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उलट चुकी है। आज छोटे–छोटे कस्बों और यहाँ तक कि गांवों में भी "कामकाजी" विवाह योग्य लड़लो के माँ–बाप की पहली पंसद बन गई है।

शहरों में कामकाजी महिलाओं की स्थिति और संख्या में लगातार वृद्ध हो रही है लेकिन छोटे कस्बों और गांवों में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अभी कुछ समय पूर्व कामकाजी महिलाओं के संदर्भ में एक अध्ययन किया गया जिसके नतीजे का उल्लेख यहाँ प्रासंगिक होगा। इस यध्ययन के मुताबिक अधिकतर कामकाजी महिलाएं 20–45 वर्ष के आयु वर्ग की होती है अर्थात आजादी के बाद जन्मी महिलाएं ही आज घर से निकल कर काम संभाल रही है। उनमे भी 20–25 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं की संख्या अधिक है, जिसका अर्थ है कि आजकल सभी शिक्षित महिलाएं किसी न किसी रोजगार में लगी है।

एक ओर तो कामकाजी महिलाओं का अनुपात बढ़ता जा रहा है तो दूसरी ओर बढ़ रहा है कार्यस्थल पर उनके साथ होने वाला दुर्व्यवहार। पुरूषों के साथ काम करने की वजह से महिलाओं को कठिन परिस्थितियों और उलझनों का सामना करना पड़ता है। जो महिलाएँ किसी उच्चाधिकारी के मातहत काम करती है। उनके सामने यह समस्या है कि कथित अधिकारी उन्हें कार्यकुशल कार्यकर्ता न मानकर सिर्फ उन्हें स्त्री के रूप में ही देखता है। यदि वह उसकी प्रशंसा करे, उसके सामने सौम्य और नम्र नहे तो सम्भव है कि अधिकारी अपने पद का दुरूपयोग करके महिला कर्मचारी से नाजायज फायदा उठाना चाहेगा। यदि उसके अधिकारी को वैसा करने दिया तो उसमें अपराध भावना की वजह से आन्तरिक संघर्ष और तनाव पैदा होंगे। घर में तथा सहकर्मियों के साथ उसका सम्बन्ध कटू हो जाता है। उसके सहकर्मी उसे नीची नजरों से देखने लगते हैं और यदि कहीं उसने अपने अधिकारी को प्रसन्न नहीं रखा, अपने काम में ही दिलचस्पी रखती रही तो उसके लिए अपनी नौकरी बनाए रखना अथवा पदोन्नति पाना कठिन हो जायेगा। उसके बारे में यही कहा जाएगा कि वह पदोन्नति के लिए कतई योग्य नही है।

यदि महिला अधिकारी हुई और उसके अधीनस्थ कर्मचारी पुरूष हुए तो उसका एक दूसरी प्रकार की उलझन से पाला पड़ता है। यदि वह अल्पभाषी है, अपने कर्मचारियों से उसने अनुशासन बरतने के लिए तथा काम ठीक से करने के लिए कहा तो उसे उनका कोपभाजन बनना पड़ेगा। दूसरी तरफ उसने नम्रता, शिष्टता और सदस्यता से काम लिया तो कहा जाता है कि वह उच्चाधिकारी होने के काबिल नहीं है। उसके अच्छे स्वभाव का गलत फायदा उठाते हुए उसने अधीनस्थ कर्मचारी उसके आदेशों की अवहेलना करते है। इन दोनों स्थितियों से साफ जाहिर होता है कि पुरूष अभी भी किसी महिला अधिकारी के मातहत काम करना पसन्द नहीं करते हैं और यदि लाचार में उन्हें ऐसा करना ही पड़ता तो उनकी अहम् भावना को चोट पहुंचती है।

कामकाजी महिलाओं से आमतौर पर पुरूषों के साथ काम करना पड़ता है। परन्तु उस साधारण स्थिति में भी तनाव उत्पन्न होते हैं। यदि ज्यादा बोलती–चलती नहीं खुल कर पुरूष सहकर्मियों के साथ मिलती–जुलती नहीं, तो कहा जाता है कि उसे अपने परिवार, पद आदि का घमंड हे। दूसरी तरफ यदि वह उनके साथ खुल कर मिलती–जुलती है तो उसे गलत नजरों से देखा जाता है। उसका नाजायज फायदा भी उठाने की कोशिश की जाती है। कामकजी महिलाओं से संबंधित

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

अनक अध्ययन हुए हैं, जिनमें सत्यानन्द[4], पुष्पा सिन्हा[5], कपूर प्रमिला[6], वसंत कुमार[7], गोल्डस्टीन[8], किदाव दुर्गा[9], नरूला उमानन्दर[10], नेडी और नैडी[11] आदि का अध्ययन उल्लेखनीय है।

अध्ययन के उद्धेश्य–

1. अधिकारी कामकाजी महिलाओं के साथ सामान्य व्यवहार करते हैं।
2. कामकाजी महिलाओं का सहकर्मियों के साथ समन्य सम्बन्ध पाया जाता है।

अध्ययन का क्षेत्र– प्रस्तुत अध्ययन के लिए पटना शहर का चयन किया गया। पटना शहर में कामकाजी महिलाओं की संख्या अधिक है।

निदर्शन– पटना शहर के सभी कामकाजी महिलाओं से सूचना प्राप्त करना संभव नहीं था। इसलिए मैंन 300 कामकाजी महिलाओं का चुनाव सुविधाजनक निदर्शन प्रणाली के द्वारा किया।

सूचना संकलन की प्रविधि– कामकाजी महिलाओं से कार्यस्थल पर उनकी स्थिति को ज्ञात करने के लिए अनुसूची का निर्माण किया और उसके द्वारा चयनित कामकाजी महिलाओं से सूचनाएँ प्राप्त की।

उपलब्धियाँ – 33.3 प्रतिशत कामकाजी महिलाएँ कार्यस्थल पर मिलने वाली सुविधाओं से पूर्णतया सन्तुष्ट है, 41.7 प्रतिशत कामकाजी महिलाएँ सन्तुष्ट हैं, 8.3 प्रतिशत कामकाजी महिलायें तटस्थ है, 10 प्रतिशत कामकाजी महिलाएँ असंतुष्ट है तथा 6.7 प्रतिशत कामकाजी महिलायें पूर्णतया असंतुष्ट हैं।

66.7 प्रतिशत कामकाजी महिलायें अपने निर्धारित कार्य समय से संतुष्ट है। 58.3 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं के प्रति अधिकारियों का व्यवहार सामान्य था। 16.7 प्रतिशत का व्यवहार उनके प्रति असंतोषजनक था। ऐसे कामकाजी महिलाओं ने कहा कि अधिकारी उनके साथ अच्छा वर्ताव नहीं रखते हैं। इसके कारणों की चर्चा करते हुए कामकाजी महिलाओं ने कहा कि अधिकारी शोषण की प्रवृत्ति रखते हैं। चारित्रिक दुर्बलता तथा सहानुभूति रवैया न होना दुर्व्यवहार का कारण है। 66.6 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं का सहकर्मियों के साथ सम्बन्ध सामान्य थे, 16.7 प्रतिशत का सम्बन्ध मधुर तथा 16.7 प्रतिशत का सम्बन्ध तनावपूर्ण था। जब कामकाजी महिलाओं से सम्बन्धों के तनावपूर्ण होने का कारण पूछा गया तो उन्होंने निम्नलिखित कारण बताए –

1. स्वभावगत भिन्नता
2. दोगली नीति
3. दिखावे का प्रवृत्ति
4. चारित्रिक दुर्बलता
5. सहकर्मियों के प्रति अफसरों के कान भरने की प्रवृत्ति

66.6 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं के प्रति उनके अफसरों में उच्च भावना पाई गई, जबकि 33.4 प्रतिशत महिलाओं ने इस तथ्य से इन्कार किया। 66.6 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं का अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति कोई तुच्छ भावना नहीं है। 50 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं को अपने सहकर्मियों से सहयोग प्राप्त होता है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि कामकाजी महिलाओं का अपने अधिकारियों के प्रति औपचारिक सम्बन्ध है, क्योंकि उन्हें ये भली–भांति पता होता है कि कतिपय संस्था में ये अधिकारी ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला है। अतः वे स्वार्थ के वशीभूत होकर उनसे सम्बन्ध विकसित करने का प्रयास करती है। उनके सम्बन्धों में एकनिष्ठता का अभाव होता है क्योंकि वे येन–केन–प्रकारेण अपना स्वार्थ–सिद्ध करने में विश्वास करती है। कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं का यौन शोषण होता है। अहमदाबाद वुमेंस एकशन ग्रुप नामक गैर–सरकारी स्वैच्छिक संस्था ने सन् 2004 की शुरूआत में एक सर्वे किया। उस शोध के नतीजों ने भी इस धारणा को ही पुष्ट किया कि आज भी कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण होता है। इस सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 48 प्रतिशत महिलाओं के कार्यस्थल पर मौखिक, शारीरिक और मानसिक शोषण का हमला झेलना पड़ता है और यह हमला करते हैं उनके अपने ही सहकर्मी। अतः कामकाजी महिलाओं का कार्यस्थल पर शोषण न हो इसके लिए कड़े कानून बनाये जाने चाहिए तथा दोषी व्यक्तियों को सजा की गारंटी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ प्रमिला कपूर : विवाह और कामकाजी महिलाएँ।
2. डॉ नन्दनी उप्रेती : क्या कामकाजी महिलाएँ तनावग्रस्त रहती है? समाज कल्याण पत्रिका, केन्द्रीय राजकल्याण बोर्ड, जून 1988.
3. Dr. Amuradla Bhaite : woman employees and rural development problems of employed woman in rural areas.
4. Satyanand, K, (1973) : The status of the working woman in India.
5. Sinha, pushpa, (1987) : Role conflict among the working woman.
6. Kapoor, pramila, (1970) : Marriage and the working woman in India.
7. Kamala, Basant Kumar, (1964) : Her emotional problems.
8. गोल्डस्टीन (1972), (उद्धत) डॉ0 प्रमीला कपूर "कामकाजी भारतीय नारी।
9. Kidav, Dhrga (1973) : "Is the waki woman Emaras", Ebs weekly, 5 May.
10. Narula, Umanand : carrier felyot among women, social welfare May, 1967.
11. Nedi and Naidi (1975) : Towards to equality for women.

*****